न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 3, बरेली।

## <u>आदेश</u>

दिनांक 14.06.2022

अभियुक्त **हर्ष बाजपेयी** की ओर से मु0अ0सं0 289/2022 अन्तर्गत धारा 279, 338 भा0दं0सं0 थाना बिथरीचैनपुर, जिला बरेली के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसे मामले मे झूॅठा फंसाया गया है। वह उचित जमानत देने को तैयार है। अतः उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं अभियोजन प्रप़त्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन आख्यानुसार अपराध जमानतीय है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत आधार पर्याप्त प्रतीत होते हैं। अतः अभियुक्त द्वारा **बीस हजार रूपये** का निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि की **दो** प्रतिभू दाखिल करने पर उपरोक्त प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाये।

ए0सी0जे0एम0, कक्ष संख्या 3,
बरेली